कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

दिनांक/10 जनवरी, 2022

पत्रांकः 1006 /नाजिर/वाहन नीलामी–सूचना प्रकाशन/2021

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व विभाग की निष्प्रयोज्य घोषित वाहन संख्या यू0पी0–45 जी0/0024 (टाटा स्पेशियों) जो कलेक्ट्रेट कार्यालय, अम्बेडकरनगर में खड़ी है। जिनकी सार्वजनिक नीलामी दिनांक 20.01.2022 समय अपरान्ह 02.00 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में नियत है। नीलामी की शर्ते निम्नवत् होंगीः–

1–प्रत्येक बोली दाता की बोली के पूर्व रू0– 5000.00 (रूपये पांच हजार) मात्र का अर्नेस्ट मनी के रूप में नकद जमा करना होगा।

2–नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दे।

3–वाहन जहां है, जिस दशा में है, उसी दशा में नीलाम किया जायेगा।

4–समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम बोली मानी जायेगी जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कर दी जाय।

5–नीलामी समिति का यह विचार होने पर कि बोली बोलने वाले व्यक्तियों ने एक गिरोह बना लिया है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, नीलामी में ऐसी स्थिति परिलक्षित होने पर नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।

6–उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा बोली का 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद नकद जमा करना होगा। चेक, बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7–नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो अन्तिम बोली निरस्त कर दी जायेगी और नीलाम की गई गाड़ी को पुनः नीलाम किया जायेगा। ऐसी दशा में उच्चतम बोलीकर्ता की जमा मुद्रांक रू0– 5000.00 अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

8–उच्चतम बोली दाता की बोली स्वीकृत हो जाने के बाद बोली की समस्त धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा करनी होगी तथा पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात् तथा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वाहन जहां है वहां से हटा लेना होगा।

9–समिति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली जब तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है नीलाम किया गया वाहन जहां है वही पर रहेगा तथा इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की होगी।

10–नीलाम की गई गाड़ी उच्चतम बोली बोलने वाले को तभी दी जायेगी जब उसके द्वारा गाड़ी के सम्बन्ध में बोली गई धनराशि तथा उस पर देय बिक्रीकर का भुगतान पूरी तरह से कर लिया गया हो तथा गाड़ी को ले जाने की अनुमति दे दी गई हो।

11–इच्छुक बोली दाता बोली के पूर्व वाहन को किसी भी कार्य दिवस में वाहन जहां खड़ा है वहां स्थल पर देख सकते हैं।

12–नीलामी शर्तें के विषय में कोई भी विवाद होने पर जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर का निर्णय अन्तिम होगा तथा विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही अम्बेडकरनगर स्थित सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

13–नीलामी की तिथि को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नीलामी स्थल में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर होगा और इस सम्बन्ध में बोली बोलने हेतु उपस्थित व्यक्तियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियत स्थल पर बोली बोलने हेतु बाध्यता होगी।

14–उच्चतम बोली जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित किये जाने पर बोलीकर्ता को अनुमोदित धनराशि पर नियमानुसार बिक्रीकर की धनराशि जमा करना आवश्यक होगा।

अपर जिलाधिकारी
(वित्त एंव राजस्व)
अम्बेडकरनगर ।

.....2/